



कायोलय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल साइज 16' X 8' एवं 30' X 15' पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्त नीलामी : जनवरी 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (विज्ञापन पट्ट रथलों) की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-

1. जोन क्षेत्र में स्थित यूनिपोल साइटों के लिए पृथक—पृथक साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी एवं एक यूनिपोल स्ट्रेक्चर पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जायेगा।
2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले 16x8 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013) तक तथा 30x15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों की नीलामी एक वर्ष (01 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2013) तक के लिए की जायेगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जायेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञापन कार्यक्रम के अनुसार की जायेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर पूरवर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. प्रत्येक 16x8 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए पांच हजार रुपये तथा प्रत्येक 30x15 फीट साइज के यूनिपोल साइट के लिए 15,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता को 1/4 राशि मौके पर तुरन्त जमा करवानी होगी एवं अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाताओं को जमा अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जायेगी।
4. नीलामी के पश्चात् प्रत्येक साइट की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जायेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर यूनिपोल पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जायेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 16x8 फीट के यूनिपोल साइटों का (01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014) तक के लिए तथा 30x15 फीट साइज के यूनिपोल साइटों का (01 मार्च 2013 से 28 फरवरी 2014) तक के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आगे वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जायेगी। नवीनीकरण की राशि 60 दिवस पूर्व समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। 60 दिवस पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन एवं स्वनिर्धारण कर 1/4 राशि का ड्राफ्ट/चैक प्राप्त नहीं होने पर नीलामी सूचना जारी कर दी जाएगी।
6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात् यूनिपोल लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। यूनिपोल लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अडचन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात् यह माना जायेगा कि यूनिपोल लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
8. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना यूनिपोल नहीं लगायेगा। यूनिपोल अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। यूनिपोल नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जायेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जायेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
9. लाईसेंस अवधि समाप्ति पर यूनिपोल नहीं हटाने पर, निगम हटा सकेगा एवं हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जायेगा।

10. यूनिपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये यूनिपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्चा फर्म से वसूल किया जावेगा।
11. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से 16'X8' यूनिपोल का निर्माण निगम स्पेशिफिकेशन के अनुसार करना होगा एवं 30'X15' साईज के यूनिपोल लगाने से पूर्व डिजाईन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
12. यूनिपोल पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व विल का भुगतान लाईसेन्सी को वहन करना होगा।
13. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक यूनिपोल पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर यूनिपोल बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
14. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह यूनिपोल को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा अनुज्ञापत्रधारी का देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा यूनिपोल की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। यूनिपोल गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
17. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के यूनिपोल मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
18. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा।
21. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नगरपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
22. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समर्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
23. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
24. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा यदि किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
25. अगर कोई यूनिपोल जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
26. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
27. लाईसेन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।
28. सभी यूनिपोल सिलवर रंग के होंगे जिनको सही हालत में रखना होगा एवं फर्म का नाम एवं साइट संख्या लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

ओवर हैड साईंनेज की शर्तें

नीलामी : जनवरी 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए ओवर हैड साईंनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रुपये मात्र) प्रति ओवर हैड साईंनेज अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ओवर हैड साईंनेज की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे ओवर हैड साईंनेज पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित ओवर हैड साईंनेज में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर एक तरफ ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं एक तरफ दिशा सूचक प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. ओवर हैड साईंनेज पर लगे दिशा सूचक साईंनेज पर यदि मिशन अनुपम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं फर्म का नाम है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर जयपुर नगर निगम व जयपुर नगर निगम का लोगो लगाना होगा। साईंनेज रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट जो blue Color, Color No. 66 French blue as per 1.515 व अक्षर सफेद कलर में होगी।
6. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
7. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियाँ 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियाँ 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
8. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ओवर हैड साईंनेज पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. ओवर हैड साईनेज पर प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा । इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । ओवर हैड साईनेज पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा । यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा ।
10. लाईसेन्स अवधि में ओवर हैड साईनेज की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी । ओवर हैड साईनेज विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है । विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी ओवर हैड साईनेज में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के हर्जे पर ठीक करवाना होगा । ओवर हैड साईनेज का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा । ओवर हैड साईनेज का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी ।
11. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (ओवर हैड साईनेज सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी । शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी ।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा ।
13. जनहित/यातायात में बाधक होने पर ओवर हैड साईनेज को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्चे पर शिफ्ट करना होगा । इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा । 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को ओवर हैड साईनेज शिफ्ट करना होगा ।
14. अगर कोई ओवर हैड साईनेज जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियाँ-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियाँ 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी ।
15. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा ।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी ।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा ।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा ।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर

४८



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

5

बस शैल्टर्स की शर्तें

नीलामी : जनवरी 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए बस शैल्टर्स पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रूपये 20,000/- अक्षरे (बीस हजार रूपये मात्र) प्रति शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा बस शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे बस शैल्टर पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्भित बस शैल्टर में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा एवं निर्धारित स्थल पर जयपुर सिटी का मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। स्थान संलग्न सूची अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
5. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देंगे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर बस शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. बस शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बस शैल्टर पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
9. लाईसेन्स अवधि में बस शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेन्सी की होगी। बस शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर नीलाम किया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा। बस शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेन्सी की होगी।
10. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (बस शैल्टर सही हालत में) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
11. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
12. जनहित/यातायात में बाधक होने पर बस शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा जिसे लाईसेन्सी द्वारा अपने खर्च पर शिफ्ट करना होगा। इसमें लाईसेन्सी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। 15 दिन के नोटिस पर लाईसेन्सी को बस शैल्टर शिफ्ट करना होगा।
13. अगर कोई बस शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
14. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
15. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।
16. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
17. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेन्सी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
७८



कायोलय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

7

ट्राईएंग्यूलर साईनेज पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जनवरी 2012

- नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एवं लाईसेन्स की शर्तें :-
1. नगर निगम क्षेत्र में स्थित ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स के लिए एकजाई साइटों के आधार पर बोली आमंत्रित की जायेगी।
 2. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किये जाने वाले ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013) तक के लिए की जावेगी, जिसकी स्वीकृत सूची के अनुसार होगी। अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित लाईसेन्स फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साइट की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेन्स शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 3. प्रत्येक के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स प्रति साइट के लिए 5,000/- रु. बतौर अमानता के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोलीदाता की अमानता राशि बोलीदाता की 1/4 राशि में समायोजित की जावेगी। जिस फर्म ने नीलामी में कोई साइट नहीं ली है उसको अमानता राशि नीलामी के पश्चात वापिस कर दी जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
 4. नीलामी के पश्चात एकजाई साईट्स की स्वीकृत उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई राशि जब्त कर पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
 5. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर विज्ञापन करने का लाईसेन्स जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेन्स जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेन्स दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व अर्थात 60 दिवस में नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेन्स निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
 6. साइट नीलामी किये जाने के पश्चात ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाना या न लगाना नीलामी की राशि के भुगतान की पूर्व शर्त नहीं होगी। नगर निगम साइट लगाने में सहयोग करेगा एवं साइट लगाने में कोई अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात अपनी लिखित आपत्ति पन्द्रह दिवस में दर्ज करानी होगी। इस अवधि के पश्चात यह माना जावेगा कि ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने में कोई आपत्ति या व्यवधान नहीं है एवं इसके पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी।
 7. ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्ड पर) साइट की साईज त्रिभुजा (तीनों तरफ) $3' \times 10'$ फुट होगी जिसमें $3' \times 6'$ फुट (तीन तरफ) विज्ञापन, $3' \times 2'$ फुट (तीन तरफ) घड़ी व तापमान एवं $3' \times 2'$ फुट (तीन तरफ) नगर निगम स्लोगन एवं बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेन्स को वहन करना होगा।
 8. उच्चतम बोलीदाता द्वारा साइट की राशि शर्तनुसार निर्धारित समय पर जमा कराने पर बोलीदाता को साइट का अनुज्ञापत्र साइट प्लान सहित जारी किया जा सकेगा।
 9. कोई बोलीदाता शर्तों की पालना किए बिना ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नहीं लगायेगा। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें नौकर, अभिकर्ता आदि शामिल हैं। ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीलामी शर्तों/उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऐसी साइट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम जयपुर के पक्ष में जब्त की जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिति में साइट से अनुज्ञापत्रधारी के ट्राईएंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।

10. लाईसेंस अवाधि समाप्त पर द्राइंग्यूलर साइनेज (आयलॉडा पर) ताड़पांच परा हैरानी को निर्माण करता है।
11. द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साइट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे भिन्न रूप से लगाये गये द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा एवं जिसका हर्जा-खर्च फर्म से वसूल किया जावेगा।
12. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स का निर्माण निगम द्वारा ज्ञाइंग के अनुसार करना होगा इससे भिन्न डिजाइन बनाने पर द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स लगाने से पूर्व डिजाइन एवं स्पेशिफिकेशन फर्म द्वारा MNIT से स्वीकृत कराकर स्वीकृति की प्रतिलिपि नगर निगम में पेश करनी होगी। इसी के अनुसार बनाना होगा एवं इनका संधारण (रख रखाव) किया जावेगा।
13. द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अस्तील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा एवं बिजली कनेक्शन व बिल का भुगतान लाईसेन्सी को बहन करना होगा।
14. बोलीदाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स पर अपनी फर्म का नाम एवं विज्ञापन पट्ट, साइट नम्बर, पट्ट पर स्पष्ट तथा दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल किया जावेगा।
15. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स नीचे नहीं गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साइट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेन्सधारी की होगी। द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी राहगीर/जनता को होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वयं की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/जयपुर नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
17. प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, अनुज्ञापन अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के आदेश एवं निर्देशों की पालना के लिए बाध्य होगा। इन आदेशों की अपील नगर निगम की सक्षम समिति/बोर्ड को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।
18. किसी प्राकृतिक आपदा से यदि अनुज्ञापत्रधारी के द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स मुड़कर मार्ग में गिरकर अवरोध पैदा करते हैं तो उन्हें सूचना के दो घंटे के अंदर नियमानुसार खड़ा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की होगी अन्यथा नगर निगम उस पर अपना कब्जा कर सकेगी।
19. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
20. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त राजस्व (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा राशि जब्त की जा सकेगी तथा अनुज्ञापत्रधारी की साइट/साइट्स को विना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
21. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।
22. नीलामी में लिए गये किसी भी विज्ञापन पट्ट के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से नारपालिका अधिनियम-2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1959 या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकेगी।
23. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार जयपुर नगर निगम को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को मान्य होगा।
24. इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व साइट स्थल एवं शर्तों का अवलोकन कर लेवें सरकारी बाधा के अलावा अन्य स्थिति में कोई राशि वापस नहीं होगी।
25. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी साइट को हटाना या शिफ्ट करना पड़े तो ऐसा लाईसेंसधारी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा।
26. अगर कोई द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
27. इस अनुज्ञापत्र के सबन्ध में कोई विवाद पक्षकारों के मध्य उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।
28. लाईसेंस की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होगा तो उसका अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का होगा जो मान्य होगा।
29. सभी द्राइंग्यूलर साईनेज (ऑयलैण्डों पर) साइट्स जिनको सही हालत में रखना होगा एवं साइट पर फर्म का नाम एवं साइट सख्त लिखना अनिवार्य होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर



कायोलय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

9

फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन करने की शर्तें नीलामी : जनवरी 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से खासा कोठी फ्लाई ओवर बेस कॉलम के 8 खम्बों की अमानता राशि 20,000/- रु. एवं टॉक रोड गोपालपुरा फ्लाई ओवर के बेस कॉलम के 4 खम्बों की अमानता राशि 10,000/- रु. निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. खासा कोठी फ्लाई ओवर के नीचे बेस कॉलम्स (आठ खम्बों) एवं गोपालपुरा फ्लाई ओवर के नीचे बेस कॉलम्स (चार खम्बों) पर विज्ञापन किया जा सकेगा लेकिन लाईसेंसी का यह दायित्व रहेगा कि स्वीकृत खम्बों के अतिरिक्त अन्य खम्बों पर विज्ञापन नहीं करे एवं अन्य किसी को भी विज्ञापन नहीं करने देवे, अवैध पोर्टर्स, बैनर्स, वॉलपैटिंग भी नहीं होने देवे, किसी के द्वारा उक्त तरह अथवा अन्य तरह से अवैध विज्ञापन करने पर लाईसेंसी द्वारा अवैध विज्ञापनों को हटवाया जा सकेगा/खम्बों को पुतवाया जा सकेगा। खम्बों को मूल स्वरूप में रखने की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की ही होगी। विज्ञापन बोर्डों की सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी भी संबंधित लाईसेंसी की होगी।
5. निगम सीमा में लगे फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर खम्बे के ऊपरी भाग से 2 फुट छोड़कर एवं रोड तल से 3 फुट छोड़कर पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा। निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां—2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा। स्थान संलग्न सूची व नक्शों अनुसार होगा एवं निगम की स्वीकृति पर ही स्थान परिवर्तन होगा।
6. जयपुर के सौन्दर्यकरण एवं आधुनिकीकरण की दृष्टि से फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बे) पर विज्ञापन करने से पूर्व डिजाइन व स्पेशिफिकेशन अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से स्वीकृत करवाना होगा तत्पश्चात् ही विज्ञापन बोर्ड लगाया जा सकेगा।
7. बिजली कनेक्शन, बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
8. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी अँथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन—पट्ट के लाईसेंसी के हर्जे—खर्चे पर हटवा देंगे।

9. 25 प्रातशत राश जमा करान पर उच्चतम बालादाता का बाला स्वाकृत हान पर पलाई आवर बस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा तो उसे तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
11. लाईसेंस अवधि में फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) परकी पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। समस्त फ्लाई ओवरों का स्ट्रेक्चर दुरुस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) पर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी।
12. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (फ्लाई ओवर बेस कॉलम (फ्लाई ओवर के खम्बों) परसही हालत में) होने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जब्त की जा सकेगी।
13. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
14. यदि किसी न्यायालय के निर्देश के अधीन/सरकार/जनहित या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधा होने पर किसी विज्ञापन को हटाया या शिपट करना पड़े तो लाईसेंसी को निर्देशानुसार स्वयं के खर्च पर करना होगा। प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जां सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)

नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

१

पुलियाओं/ROB फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने की शर्तें

नीलामी : जनवरी 2012

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों पर बनी हुयी निर्मित पुलियाओं (आर.ओ.बी. एवं फ्लाईओवर) पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित पुलियाओं पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का अनुज्ञापत्र नीलामी के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा।
2. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
3. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी सूची अनुसार एकजाई की जावेगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 25,000/- अक्षरे (पच्चीस हजार रुपये मात्र) पुलियाओं/ ROB की अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
5. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
6. निगम सीमा में पुलियाओं/ROB के डिवाईडर पर दो बिजली खम्बों के बीच दो फ्लावर पोटों (गमलों) में पेड़/पौधे (सुन्दर फुलों के) लगाने होंगे जिनमें से एक पोट पर निगम का स्लोगन एवं एक पोट पर फर्म द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा। फ्लावर पोटों का साईज 2'X3' का होगा। निर्मित पुलियाओं पर लगे फ्लावर पोटों (गमलों) पर चारों ओर विज्ञापन/स्लोगन किया जायेगा।
7. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। पुलियाओं/ROB में निर्धारित विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
8. पुलियाओं/ROB पर लगने वाले गमले, पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग-रोगन व चित्रकारी आदि लाईसेंसधारी को कराना होगा एवं उनका संधारण भी लाईसेंसधारी को करना होगा। निगम विज्ञापन में नैतिक शिक्षा से सम्बन्धित स्लोगन का विशेष ध्यान रखना होगा।
9. फ्लावर पोट (गमलों) एवं पेड़/पौधों का रख-रखाव सही नहीं होने पर एवं विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 शर्तोंनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, पोटों पर लगे विज्ञापन को निगम द्वारा हटवा दिया जायेगा।

10. नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेन्सी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन—पट्ट को लाईसेन्सी के हर्ज—खर्च पर हटवा देंगे।
11. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों) पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर नीलामी निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. पुलियाओं/ROB पर फ्लावर पोटों (गमलों), पेड़/पौधों एवं पुलियाओं की सफाई, रंग—रोगन, चित्रकारी एवं प्रदर्शित विज्ञापन/श्लोगन की देखभाल एवं रख—रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस सम्बन्ध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पुलियाओं पर रखे पोटों में पेड़—पौधों सही तरीके से हरे—भरे रखने होंगे एवं समय पर उनमें पानी, खाद्य देने की एवं समस्त रख—रखाव की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी पोट में किसी प्रकार की टूट—फूट होगी तो लाईसेन्सी द्वारा ही स्वयं की हर्ज पर ठीक करवाना होगा। पोट दुरुस्त हालत में रंग—रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
13. अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (पोटों को सही हालत में सम्मलाने पर) होने पर लाईसेन्सी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता राशि जब्त की जा सकेगी।
14. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
15. अगर कोई फ्लावर पोटों (गमलों) को जनहित में हटाना आवश्यक होगा या यातायात में बाधक होगा या बी.आर.टी.एस. रोड़/मेट्रो परियोजना के कारण या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
16. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय—समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कर अथवा भविष्य में लगाने वाला कर का वहन लाईसेंसधारी को ही करना होगा।

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

निर्मित श्रमिक शैल्टर की शर्तें

नीलामी : जनवरी 2012


13

नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए श्रमिक शैल्टस पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेंस की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. विज्ञापन प्रदर्शित करने की नीलामी एक वर्ष (01 फरवरी 2012 से 31 जनवरी 2013 तक) के लिए मान्य होगी। नवीनीकरण चाहने पर निगम द्वारा लाईसेंस शुल्क पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके यह अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
2. नीलामी सूची अनुसार 7 (सात) श्रमिक शैल्टरों की नीलामी एकजाइ होगी। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नकद/बैंक ड्राफ्ट से रुपये 70,000/- अक्षरे (सत्तर हजार रुपये मात्र) श्रमिक शैल्टर्स अमानता राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। यह राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस लौटाई जायेगी व शेष असफल बोलीदाताओं को अमानता राशि बोली समाप्ति के तुरन्त बाद वापिस कर दी जावेगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की 25 प्रतिशत राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने पर अमानता राशि जप्त कर ली जावेगी तथा श्रमिक शैल्टर्स की पुनः नीलामी की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. निगम सीमा में लगे श्रमिक शैल्टस पर निर्धारित स्थल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने का लाईसेंसी को अधिकार होगा, नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के अंतर्गत ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जा सकेंगे। अश्लील व आपत्तिजनक विज्ञापन आदि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। निर्मित श्रमिक शैल्टस में निर्धारित 50'X4' फीट साइज का 1 (एक) ग्लोसाईन बोर्ड व 10'X4' फीट साइज के 3 (तीन) ग्लोसाईन बोर्ड पर विज्ञापन स्थल पर ही विज्ञापन किया जा सकेगा।
5. बिजली कनेक्शन व पानी कनेक्शन कराने व बिल का भुगतान व अन्य खर्च लाईसेंसी को वहन करना होगा।
6. विज्ञापन उपविधियां-2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार विज्ञापन प्रदर्शित न होने पर लाईसेंसी ऑथोरिटी को पूर्ण अधिकार होगा कि, विज्ञापन-पट्ट को लाईसेंसी के हर्जे-खर्चे पर हटवा देवे।
7. 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर श्रमिक शैल्टर्स पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि का चैक लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा कराना होगा। आगामी वर्ष 01 फरवरी 2013 से 31 जनवरी 2014 के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह अर्थात् 60 दिवस पूर्व नीलामी राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। इस प्रकार वर्ष 01 फरवरी 2014 से 31 जनवरी 2015 तक के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि का चैक जमा कराना होगा। अन्यथा लाईसेंस निरस्त कर पुनः नीलामी की जावेगी। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नहीं कराने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी।

8. श्रमिक शैल्टर पर लगे प्रदर्शित विज्ञापन की देखभाल एवं रखरखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। इस संबंध में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। श्रमिक शैल्टर पर किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा व ना ही बैनर्स या छोटे बोर्ड, पतंग, प्लास्टिक बोर्ड आदि लगाया जावेगा एवं इन्हें लाइसेंसी द्वारा तुरंत हटाया जावेगा। यदि नहीं हटायेंगे तो नगर निगम नियमानुसार कार्यवाही करेगा।
9. लाईसेंस अवधि में श्रमिक शैल्टर की पूर्ण देखरेख व रखरखाव लाईसेंसी की होगी। श्रमिक शैल्टर विज्ञापन हेतु निगम द्वारा जहां है जैसी स्थिति में है की शर्त पर दिया जा रहा है। विज्ञापन करने के दौरान यदि किसी शैल्टर में किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा ही स्वयं के खर्च पर ठीक करवाना होगा। शैल्टर का स्ट्रेकचर दुर्रस्त हालत में रंग रोगन किया हुआ रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा। श्रमिक शैल्टर का सामान चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।
10. श्रमिक शैल्टर में श्रमिकों के बने शौचालय व वाटर कूलर की देखभाल, टूट-फूट व रख-रखाव का दायित्व लाईसेंसधारी का होगा। लाईसेंस अवधि के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो लाईसेंसी द्वारा स्वयं के हर्जे-खर्चे पर ठीक कराना होगा। शैल्टर की सुविधाओं को दुर्रस्त हालत में रखना होगा। कोई सामान इत्यादि चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। अमानता राशि लाईसेंस अवधि समाप्त होने के बाद शर्तों की पूर्ण पालना (श्रमिक शैल्टर सही हालत में) होने का प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) नगर निगम जयपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत करने पर लाईसेंसी को लौटाई जावेगी। शर्तों की पालना नहीं होने पर अमानता जल्ता की जा सकेगी।
11. लाईसेंसधारी को प्रत्येक 3 (तीन) माह में अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) से श्रमिक शैल्टर को सही हालात में रख-रखाव करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. बोली स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगा।
13. जनहित/यातायात में बाधा होने पर श्रमिक शैल्टर को शिफ्ट करवाने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा। इसमें लाईसेंसी को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा।
14. अगर कोई श्रमिक शैल्टर जनहित में हटाना आवश्यक होगा या पुलिस अधीक्षक ट्रेफिक के निर्देशानुसार यातायात में बाधक होगा या सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण विज्ञापन प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उक्त अवधि की अनुज्ञापत्र फीस शेष रहे समय की अनुपातिक दर से विज्ञापन उपविधियां 2004 एवं संशोधित विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुसार राशि वापिस करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. किसी विवाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निगम का निर्णय अंतिम व सभी को मान्य होगा।
16. अनुज्ञापत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की बकाया राशि अनुज्ञापत्रधारी की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1959 या पी.डी.आर. एकट के तहत वसूल की जा सकेगी।
17. शर्तों में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार नगर निगम में निहित होगा तथा वही मान्य होगा।
18. समय-समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देय है अथवा भविष्य में देय होगा तो उसका वहन लाईसेंसी को ही करना होगा।

लाईसेंसिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर
५८



15

कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2012
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मोतीझूंगरी जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	MDZ-02	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, स्लिप लाईन पर एमजीडी स्कूल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
2.	MDZ-03	16' X 8'	टोंक रोड, अशोक मार्ग, तिराहा एमजीडी स्कूल की दीवार के पास बने स्लिप लाईन पर साईट सं. मोतीझूंगरी जोन-2 से 60 फुट दूर अशोक मार्ग की ओर दीवार के समानांतर।	
3.	MDZ-05	16' X 8'	टोंक रोड, महारानी कॉलेज की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर, स्लिप लाईन पर वि.प.नं. 2	
4.	MDZ-06	16' X 8'	अशोक मार्ग, जय वलब की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर चौराहा देखते हुए।	
5.	MDZ-10	16' X 8'	टोंक रोड, सूचना केन्द्र के सामने आरोग्य मार्ग के उत्तरी कोने पर फुटपाथ पर समानांतर।	
6.	MDZ-15	16' X 8'	टोंक रोड, नारायण सिंह तिराहा तोतुका भवन की दीवार के पास फुटपाथ पर अजमेरी गेट की ओर से समानांतर वि.प.नं. 2	
7.	MDZ-40	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल के पास संजय कच्छी बस्ती ओर जाने वाले रास्ते के कोने पर।	
8.	MDZ-41	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर ही यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 1	
9.	MDZ-42	16' X 8'	शांति पथ तिलक नगर बिडला मंदिर के पीछे सर्किल पर यूनिवर्सिटी की दीवार के सहारे फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
10.	MDZ-43	16' X 8'	शांति पथ, तिलक नगर टंकी के सामने, यूनिवर्सिटी की दीवार के पास बने ट्रांसफार्मर के पास समानांतर।	
11.	MDZ-47	16' X 8'	मोतीझूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी—पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
12.	MDZ-48	16' X 8'	मोतीझूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी—पूर्वी कोने पर फुटपाथ पर दीवार के सहारे गोविन्द मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 2	
13.	MDZ-49	16' X 8'	मोतीझूंगरी रोड, धर्मसिंह सर्किल पर दक्षिणी पश्चिमी कोने पर फुटपाथ पर पार्क की दीवार के सहारे।	
14.	MDZ-57	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे के पास पश्चिमी दक्षिणी कोने पर।	SIZE CHANGE
15.	MDZ-59	16' X 8'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीय नगर पुलिया से पहले एम.एन. आई.टी. की कम्पाउण्ड की दीवार के समानांतर मालवीय नगर की ओर से वि.प.न. 1।	

मोतीझुंगरी जोन

10

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
16.	MDZ-68	16' X 8'	टॉक रोड़, रिंजव बैंक के पास तख्ते शाही रोड़ के उत्तरी कोने पर।	
17.	MDZ-69	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट के पास पश्चिम की ओर।	NEW
18	MDZ-73	16' X 8'	हिम्मत नगर आर.ओ.बी. (भास्कर के पास) से गांधी नगर स्टेशन रोड पर सरस पार्लर के सामने रेल्वे दीवार के पास फुटपाथ पर।	NEW
19	MDZ-75	30' X 15'	बजाज नगर एनकलेव स्कीम के सामने रेल्वे क्वार्टर के बाहर रेल्वे दीवार के पास सरस डेयरी देखते हुए।	NEW
20.	MDZ-78	16' X 8'	जवाहर नगर सैक्टर-7 के पास बने सुलभ शौचालय के बाहर कोने पर फुटपाथ पर।	NEW
21	MDZ-79	16' X 8'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, रिलायन्स पैट्रोल पम्प से थोड़ा आगे मंदिर की दिवार के पास।	NEW
22.	MDZ-80	16' X 8'	मालवीय नगर, जगतपुरा रोड़, जगतपुरा ROB से पहले वन विभाग की दिवार के पास बने फुटपाथ पर ROB देखते हुए।	NEW
23	MDZ-81	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, बजाज नगर रोड़ के सामने वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र के बाहर फुटपाथ पर समानान्तर।	NEW
24	MDZ-82	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, OTS चौराहा, पश्चिमी-दक्षिणी कोने पर साइट संख्या MDZ-57 के पास भास्कर की ओर दीवार के समानान्तर।	NEW
25.	MDZ-83	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, आरोग्य मार्ग के सामने, रेजीडेन्ट डॉक्टर हॉस्टल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
26.	MDZ-84	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मुखबधीर स्कूल के दक्षिण गेट के पास।	NEW
27.	MDZ-85	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, मालवीय नगर पुलिया के पहले MNIT की दीवार के पास।	NEW
28.	MDZ-86	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, जगतपुरा रेल्वे फाटक रेल्वे दीवार के पास मालवीया नगर देखता हुआ।	NEW
29.	MDZ-87	30' X 15'	जगतपुरा ROB के पास, रेल्वे फ्लेट्स के सामने निर्माणाधीन मंगलम् बाजार के कोने पर जगतपुरा देखता हुआ।	NEW
30.	MDZ-88	30' X 15'	हिम्मत नगर ROB (भास्कर के पास) गांधी नगर स्टेशन रोड पर रेल्वे दीवार के पास OTS देखता हुआ।	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(एण्डेट दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोटी, जयपुर)

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2012

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

विद्याधर नगर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	VDZ- 03	16' X 8'	झोटवाडा रोड, पीतल फैक्ट्री के सामने मंदिर के पास पूर्व की ओर।	
2.	VDZ- 10	16' X 8'	बनीपार्क, माधोसिंह सर्किल पर पूर्वी उत्तरी कोने पर सर्किल देखते हुए।	
3.	VDZ- 13	16' X 8'	शास्त्री नगर, कावंटिया सर्किल के दक्षिणी पूर्वी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
4.	VDZ-14	16' X 8'	विद्याधर नगर निर्माण विहार सै. 3 के आगे सिने स्टार चौराहे के पास दक्षिणी-पश्चिमी ओर	
5.	VDZ-15	16' X 8'	विद्याधर नगर, स्वर्ण जयंती पार्क के सामने विद्याधर नगर जाने वाले रोड के उत्तरी पश्चिमी कोने के फुटपाथ पर वि.प.नं. 2	
6.	VDZ-20	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के पास, गणपति ठावर्स के तिराहे के टी-पोईट पर दक्षिणी ओर फुटपाथ पर समानांतर वि.प.नं.1	
7.	VDZ-22	16' X 8'	विद्याधर नगर, उपरोक्त तिराहे पर ही उत्तर पूर्व पर बने पार्क के कोने पर फुटपाथ के समानांतर वि.प.नं. 2	
8.	VDZ-25	16' X 8'	विद्याधर नगर, नया खेडा के पास खण्डेलवाल ठावर्स के पास चौराहे पर अग्रवाल कैटर्स के पास उत्तरी-पश्चिमी कोने पर।	
9.	VDZ-41	16' X 8'	कलेक्ट्री सर्किल, पर पुराने तंहसील भवन की दीवार के समानान्तर।	
10.	VDZ-45	30' X 15'	जयसिंह हाईवे रोड़, फायर स्टेशन, चिंकारा कैन्टीन के सामने तिराहे पर।	SIZE CHANGE
11.	VDZ-47	16' X 8'	झोटवाडा रोड, चांदपोल श्मशान घाट गेट के पास बने हाजरीगाह की दीवार के पास चांदपोल देखते हुए।	NEW
12.	VDZ-50	30' X 15'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के टी-पोईट पर फुटपाथ पर फन सिनेमा देखते हुए।	NEW
13.	VDZ-51	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल से आगे फन सिनेमा जाने वाले तिराहे के पश्चिमी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
14.	VDZ-52	16' X 8'	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-उत्तरी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
15.	VDZ-53	16' X 8'	विद्याधर नगर रोड़, सिने स्टार चौराहे के पूर्वी-दक्षिणी कोने के फुटपाथ पर।	NEW
16.	VDZ-54	16' X 8'	विद्याधर नगर, माहेश्वरी गल्स्स स्कूल के दक्षिणि पूर्वी कोने के फुटपाथ पर नया खेडा के सामने।	NEW
17.	VDZ-57	30' X 15'	विद्याधर नगर स्वर्ण जयंती पार्क के पास बने सुलभ शौचालय की दीवार के समानान्तर कावंटिया सर्किल देखते हुए।	NEW
18.	VDZ-58	30' X 15'	चिंकारा कैन्टीन के सामने साईट संख्या VDZ-45 के पास चिंकारा कैन्टीन की ओर सर्किल देखते हुए।	NEW

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2012
साईंज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
मानसरोवर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईंज	स्थान का विवरण	
1.	MSZ-06	16' X 8'	मानसरोवर, मोहन नगर पुलिया के उत्तरी कोने पर त्रिवेणी नगर की ओर गोपालपुरा रोड़ देखते हुए।	
2.	MSZ-07	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहे के उत्तरी पूर्वी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
3.	MSZ-09	16' X 8'	मानसरोवर, वीर तेजाजी चौराहा मध्यम मार्ग, चौराहे के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर चौराहा देखते हुए।	
4.	MSZ-12	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पश्चिमी दक्षिणी कोने पर दुर्गापुरा देखते हुए।	
5.	MSZ-13	16' X 8'	मानसरोवर, महारानी फार्म पुलिया के पूर्वी उत्तरी कोने पर बाउण्ड्रीवाल के सहारे समानांतर मानसरोवर देखते वि.प.नं. 2	
6.	MSZ-20	16' X 8'	गोपालपुरा बाईपास, न्यू आतिश मार्केट के सामने सन्तोष नगर के कोने पर मानसरोवर देखते हुए वि.प.नं. 2	
7.	MSZ-34	16' X 8'	मानसरोवर, शिंपा पथ पर केजीपी स्कूल के पहले पश्चिमी ओर खाली पड़ी भूमि पर शिंपा पथ देखते हुए।	
8.	MSZ-45	16' X 8'	जे.एल.एन. मार्ग लाल बहादुर नगर पश्चिम जाने वाले मार्ग पर प्लाट नं. ए-6 के बाहर फुटपाथ पर जवाहर सर्किल देखते हुए।	
9.	MSZ-47	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, बजरी मण्डी।	
10.	MSZ-48	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के उत्तरी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास।	
11.	MSZ-49	30' X 15'	टॉक रोड़ तारों की कूट पेट्रोल पम्प के सामने फुटपाथ पर।	NEW
12.	MSZ-50	30' X 15'	महारानी फार्म, गायत्री नगर जाने वाली रोड़ के सामने फुटपाथ पर।	NEW
13.	MSZ-51	30' X 15'	J.L.N. मार्ग, लाल बहादुर नगर जाने वाले मार्ग पर खाली प्लाट की दीवार के समानान्तर दक्षिण कोने पर।	NEW
14.	MSZ-52	30' X 15'	टॉक रोड़, ई.पी. सिनेमा के सामने, प्रेम निकेतन अस्पताल की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर।	NEW
15.	MSZ-53	30' X 15'	शिंप्रापथ एस.एफ.एस.- वी 2 बाईपास चौराहे पर, बिजली घर के सामने खाली पड़ी भूमि की दीवार के पास।	NEW
16.	MSZ-54	16' X 8'	शिंप्रापथ मोहन नगर पुलिया आने वाले रास्ते के टी पोइन्ट पर साईंट संख्या MSZ-04 के पास एस.एफ.एस. की ओर	NEW
17.	MSZ-55	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीया नगर ROB दक्षिण-पूर्व की ओर रेल्वे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखता हुआ।	NEW
18.	MSZ-56	30' X 15'	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, मालवीया नगर ROB दक्षिण-पश्चिम की ओर रेल्वे दीवार के पास जवाहर सर्किल देखता हुआ।	NEW
19.	MSZ-57	30' X 15'	गोपालपुरा ROB के पास ROB के दक्षिणी ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास साईंट संख्या MSZ-47 के उत्तरी ओर गोपालपुरा देखता हुआ।	NEW
20.	MSZ-58	30' X 15'	हिम्मत नगर आरओबी. के पास उत्तरी-पश्चिम की ओर पी.एच.ई.डी.० पम्प हाउस के गेट के पास हिम्मत नपगर देखता हुआ	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)


19

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2012

साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट

सिविल लाईन जोन

क्र. सं.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	CLZ - 07	16' X 8'	सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर के आगे होटल जयपुर पैलेस के सामने गैस गोदाम की ओर फुटपाथ पर टोंक रोड़ देखते हुए।	
2.	CLZ - 41	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गर्वनमेंट प्रेस सर्किल, एम.ई.एस. की दीवार के सहारे फुटपाथ पर समानांतर।	
3.	CLZ - 50	16' X 8'	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प्र.नं. 1	
4.	CLZ - 51	16' X 8'	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर से वि.प्र.नं. 2	
5.	CLZ - 52	16' X 8'	सिरसी रोड़, आम्रपाली सर्किल जाने वाले तिराहे के सामने दीवार के पास आम्रपाली सर्किल रोड़ देखते हुए सिरसी रोड तिराहे की ओर वि.प.नं. 3	
6.	CLZ - 60	16' X 8'	वैशाली नगर, कर्वींस रोड़, आम्रपाली तिराहे पर मिलेकट्री की दीवार के सहारे।	
7.	CLZ - 62	16' X 8'	हवा सड़क सोडाला थाने के पीछे।	
8.	CLZ - 63	16' X 8'	गीजगढ़ हाउस, हवा सड़क।	
9.	CLZ - 64	16' X 8'	हवा सड़क, गीजगढ़ हाउस के सामने सोडाला देखते हुए।	
10.	CLZ - 86	16' X 8'	अशोक मार्ग, सी-स्कीम, अहिंसा सर्किल पर मेलबोर्न हाउस के गेट के पास फुटपाथ पर सुभाष मार्ग की ओर से समानांतर वि.प.नं. 1	
11.	CLZ - 92	16' X 8'	सरदार पटेल मार्ग, गर्वमेंट हॉस्टल की दीवार के समानांतर फुटपाथ पर।	
12.	CLZ - 97	16' X 8'	जमना लाल बजाज मार्ग, सिविल लाईन फाटक आर.ओ.बी. की ओर फुटपाथ पर जय गुरुदेव पान भण्डार के पास राजमहल होटल देखते हुए वि.प.नं. 2	NEW
13.	CLZ - 98	16' X 8'	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोस्क के पास, हसनपुरा आर.ओ.बी. की ओर से वि.प.नं. 1	NEW
14.	CLZ - 99	16' X 8'	रेल्वे स्टेशन हसनपुरा पुलिया, परिवहन मार्ग कल्पना ट्रेवल्स के सामने, रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास, कियोस्क के पास, वि.प.नं. 2	NEW
15.	CLZ-103	30' X 15'	अजमेर रोड़, कर्वींस तिराचहे पर पूर्वी-उत्तरी कोने पर	NEW



कार्यालय नगर निगम, जयपुर
(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

20

यूनिपोल नीलामी सूची, जनवरी 2012
साईज 16' X 8' एवं 30' X 15' फुट
आमेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	AMZ-02	16' X 8'	आमेर रोड, जलमहल चौराहे से आगे नाले की पुलिया के पूर्व की ओर कोहिनूर ज्वैलर्स के सामने नाले की दीवार के सहारे वि.प.नं. 3।	
2.	AMZ-03	16' X 8'	आमेर, होटल के.के. रॉयल डेज के पूर्वी गेट के सामने स्वर्ण जयंति रंगमंच की दीवार के पास कुण्डा देखते हुए।	
3.	AMZ-04	16' X 8'	आमेर रोड, कुण्डा से पहले ज्योति विलनीक के पास पूर्व की ओर बने स्लीप लाईन के पास बाउण्ड्रीवाल की दीवार के समानांतर।	
4.	AMZ-16	30' X 15'	जल महल AMZ-02 के पास नाले की दीवार के पास	NEW
5.	AMZ-17 NEW HMZ(W)-10 OLD	16' X 8'	आमेर रोड कुण्डा ज्योति विलनीक के पास।	

हवामहल (पूर्व)

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	HMZ (E)-16	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पश्चिम की ओर गोविंद मार्ग देखते हुए।	SIZE CHANGE
2.	HMZ(E)-18	30' X 15'	आगरा रोड कब्रिस्तान की दीवार के समानान्तर कब्रिस्तान गेट के पूर्व की ओर, गोविंद मार्ग देखते हुए	NEW

सांगानेर जोन

क्र. स.	साइट नम्बर	साईज	स्थान का विवरण	
1.	SNZ-42	16' X 8'	टोंक रोड, सीतापुरा ईपीआईपी को जाने वाले रास्ते के उत्तरी कोने पर टोंक रोड की ओर से वि.प.नं. 1	
2.	SNZ -53	16' X 8'	टोंक रोड सांगानेर पुलिया के आगे नीरजा सरस पार्लर के सामने बने शिव मंदिर की दीवार के समानान्तर फुटपाथ पर पुलिया देखते हुए।	
3.	SNZ -54	16' X 8'	टोंक रोड, प्रताप नगर हल्दीघाटी मार्ग के चौराहे पर पूर्वी-दक्षिणी कोने पर फुटपाथ पर जयपुर देखता हुआ।	
4.	SNZ -57	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पूर्वी ओर RIICO रेल्वे लाईन के पास बने प्लाट नं. A-1 के पास	
5.	SNZ -58	30' X 15'	सांगानेर रोड, मानसरोवर ROB के पास ROB के पश्चिम ओर रेल्वे बाउण्डरी वॉल के पास	
6.	SNZ -59	30' X 15'	टोंक रोड सीतापुरा ROB के पास, पूर्व की ओर इण्डियन ऑयल गोदाम के बाहर सांगानेर देखता हुआ।	NEW
7.	SNZ -60	30' X 15'	टोंक रोड सीतापुरा ROB के पास, दक्षिणी-पूर्व की ओर खाली भूमि के पास टोंक रोड देखता हुआ।	NEW



कार्यालय नगर निगम जयपुर

निर्मित बस शैल्टर्स की सूची
नीलामी सूची, जनवरी 2012

२।

क्र. सं.	स्थान का विवरण	
1.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बांगड़ अस्पताल के बाहर	
2.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी के सामने	
3.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कॉनोडिया कॉलेज के बाहर	
4.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के सामने	
5.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर कला केन्द्र के बाहर	
6.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के बाहर	
7.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस के सामने	
8.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस चौराहे से 50 मी. दूर, मालवीय नगर की ओर MNIT के बाहर	
9.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पेट्रोल पम्प के पास एमएनआईटी के सामने	
10.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, सरस डेयरी के सामने	
11.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, यूनिवर्सिटी मेन गेट के पास, इंदिरा सर्किल की ओर	निर्मित नहीं
12.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, हनुमान मंदिर के पास, बजाज नगर मोड़ के सामने	निर्मित नहीं
13.	जे.एल.एन. मार्ग, जे.कै.लोन हॉस्पीटल के बाहर।	
14.	जवाहर लाल नेहरू मार्ग, उनियारा गार्डन के बाहर।	
15.	कर्वीस रोड, झारखण्ड महादेव मंदिर के पास पूर्व की ओर	
16.	कर्वीस रोड, ब्रिगेडियर हाउस पूर्वी साईट	
17.	अजमेर रोड व क्वीन्स रोड जंक्शन (पूर्व दिशा में) नीलकण्ठ कॉलोनी गेट नं. 1 प्लाट नं. 35 के सामने मिलेकट्री की दीवार के समानान्तर	शिफ्ट कर लगाना है।
18.	अजमेर रोड व क्वीन्स रोड जंक्शन (पश्चिम दिशा में)	
19.	क्वीन्स रोड, गांधी पथ जंक्शन पूर्व की ओर	
20.	क्वीन्स रोड, भान नगर के सामने (पूर्व दिशा में)	
21.	क्वीन्स रोड, राठौड़ नगर के पास (पश्चिम दिशा में)	
22.	क्वीन्स रोड, आप्रपाली जंक्शन-(पश्चिम दिशा में)	
23.	कर्वीस रोड, सिरसी रोड जंक्शन पश्चिम की ओर।	
24.	गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर तिराहा 80 फीट के सामने	
25.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सरकारी सैकण्डरी स्कूल के सामने (त्रिवेणी नगर)	
26.	गोपालपुरा बाईपास रोड, 10-बी, स्कीम के पास रोड के पश्चिम की ओर पार्क के पास	शिफ्ट कर लगाना है।
27.	गोपालपुरा बाईपास रोड, सुभम मार्बल 10-बी, स्कीम के सामने	
28.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के पास	
29.	गोपालपुरा बाईपास, गंगा-जमूना पेट्रोल पम्प के सामने (संतोष नगर)	
30.	गोपालपुरा बाईपास रोड, त्रिवेणी नगर चौराहा RHS गुर्जर की थड़ी।	
31.	गोपालपुरा बाईपास, रिंझी-सिंझी के दायी तरफ (केसव विहार)	
32.	एम. आई. रोड, रामनिवास बाग गेट के पास, एमआई रोड	
33.	भवानी सिंह रोड, कर भवन के बाहर।	
34.	सहकार मार्ग, ईमली वाला फाटक पश्चिम की ओर	
35.	सहकार मार्ग, ट्रांसपोर्ट ऑफिस के सामने पश्चिम की ओर।	
36.	सहकार मार्ग, जे.पी. फाटक के पास पश्चिम की ओर	
37.	सहकार मार्ग, जयपुर पैलेस दक्षिणी ओर।	



कार्यालय नगर निगम जयपुर

ओवर हैड साईनेज

नीलामी सूची, जनवरी 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	अजमेर रोड, क्वीन्स रोड जंक्शन।
2.	क्वीन्स रोड, प्रिंस रोड जंक्शन, पश्चिम की ओर।
3.	क्वीन्स रोड, गांधी पथ जंक्शन।
4.	क्वीन्स रोड, आम्रपाली जंक्शन।
5.	क्वीन्स रोड, झारखण्ड मोड़ के पास, पश्चिम की ओर।
6.	क्वीन्स रोड, सिरसी रोड जंक्शन, पूर्व की ओर।
7.	कलेक्टर रोड, खासा कोठी सर्किल के पास।
8.	कलेक्टर रोड, सेशन कोर्ट गेट नम्बर-1 के बाहर।
9.	कालवाड़ रोड, जोशी मार्ग के पास।
10.	कालवाड़ रोड, गोविन्दपुरा स्कीम के पास।
11.	टोक रोड, फ्लाई ओवर के आगे, चौधरी पेट्रोल पम्प के सामने।
12.	खातीपुरा रोड, झोटवाडा पुलिया के पास।
13.	दिल्ली रोड, कुण्डा के पास।
14.	गोपालपुरा बाईपास रोड पर आतिश मार्केट के पास।



कार्यालय नगर निगम जयपुर
निर्मित श्रमिक शैल्टर्स की सूची
नीलामी सूची, जनवरी 2012

22

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	खिरणी फाटक के पास, झोटवाडा।
2	नांगल जैसा बोहरा सीकर बाईपास पुलिया के पास।
3.	दादी का फाटक के पास, मुरलीपुरा।
4.	नीदड़ मोड़ के सामने, सीकर रोड़।
5.	नाडी का फाटक, ईटो की मण्डी बाईपास पुलिया
6.	सीकर रोड़, बालाजी टॉवर के बाहर, विद्याधर नगर
7.	कानोता बस स्टैण्ड के पास।



कार्यालय नगर निगम जयपुर
ट्राईएंग्यूलर साईनेज (रोड़ ऑयलैण्ड पर) की सूची
नीलामी सूची, जनवरी 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर बिड़ला मंदिर ऑयलैण्ड पर।
2	जे.एल.एन. मार्ग, जे.डी.ए. चौराहे पर दक्षिणी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
3.	जे.एल.एन. मार्ग, बजाज नगर जवाहर कला केन्द्र के पास बने आयैलैण्ड पर।
4.	टोक रोड़, अशोक मार्ग तिराहा, एम.जी.डी. स्कूल के पास बने ऑयलैण्ड पर।
5.	टोक रोड़, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
6.	टोक रोड़, आश्रम मार्ग तिराहा दक्षिणी-पूर्वी ऑयलैण्ड पर।
7.	टोक रोड़, ई.पी. चौराहा उत्तरी-पश्चिमी ऑयलैण्ड पर।
8.	झोटवाडा रोड़, पानीपेच तिराहा उत्तरी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
9.	शिप्रापथ एस.एफ.एस., वी-2 बाईपास, मानसरोवर के पूर्वी ओर बने ऑयलैण्ड पर।
10.	अजमेर रोड़, किंग्स रोड़ पर बने पश्चिमी ओर ऑयलैण्ड पर।



कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

25

फ्लाई ओवर बेस कॉलम नीलामी, जनवरी 2012

क्र.सं.	साइट नम्बर	बेस कॉलम संख्या	फ्लाई ओवर का नाम
1.	MSZ-F1	4	टोंक रोड गोपालपुरा चौराहा
2.	VDZ-F2	8	खासाकोठी चौराहा

क्र.सं. 1. 2.

~



कायोलय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)



पुलियाओं पर गमले
नीलामी सूची, जनवरी 2012

क्र.सं.	स्थान का विवरण
1.	जगतपुरा ROB
2.	सीतापुरा पुलिया ROB
3.	मानसरोवर पुलिया ROB
4.	खासाकोठी फ्लाईओवर